संख्या 770 /2011/100(120)/XXVII(8)/04

प्रेषक,

आलोक कुमार जैन,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

आयुक्त कर,
उत्तराखण्ड।

विभागः वित्त (अनुभाग–8) देहरादूनः दिनांकः 15 जुलाई, 2011

विषयः वाणिज्य कर के वित्तीय वर्ष 2008–09 एवं 2009–10 के लम्बित वादों के निस्तारण हेतु स्वतः कर निर्धारण योजना का लागू किया जाना।

महोदय,

आपके द्वारा वित्तीय वर्ष 2008–09 एवं 2009–10 के लम्बित वादों की अधिकता को देखते हुए इनके निस्तरण हेतु स्वतः करनिर्धारण योजना लाये जाने का प्रस्ताव किया है। मूल्य वर्धित कर प्रणाली का मूल सिद्धान्त यही है कि इस प्रणाली में अधिकांश करदाताओं के करनिर्धारण स्वतः करनिर्धारण की श्रेणी मे आने चाहिए और केवल कुछ चुने हुये करदाताओं के मामलों में स्क्रूटनी सम्पादित की जानी चाहिए लेकिन व्यावहारिक रूप में उत्तराखण्ड में अधिकारियों की कमी व अपूर्ण रूपपत्रों के कारण, ऐसा सम्भव नहीं हो पाया है। मूल्य वर्धित कर अधिनियम,2005 की धारा 25 की उपधारा (3)व(4) में कतिपय प्रतिबन्धों के साथ स्वतः कर निर्धारण का प्राविधान है और उक्त अधिनियम की धारा 23 की उपधारा (5) में आयुक्त कर को रूपपत्रों की समय सीमा को बढ़ाने के सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश निर्गत करने की शक्ति प्राप्त है। इसी प्रकार मूल्य वर्धित कर नियमावली के नियम 4 के उपनियम (2) में आयुक्त कर को मूल्य वर्धित कर अधिनियम व नियम के प्राविधानों के क्रियान्वयन हेतु दिशा–निर्देश जारी करने की शक्ति प्राप्त है।

अतः आयुक्त कर से प्राप्त प्रस्ताव एवं मूल्य वर्धित कर अधिनियम एवं नियम के अन्तर्गत वर्णित प्राविधानों पर सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा वर्ष 2008–09 एवं 2009–10 के लम्बित वादों के निस्तारण हेतु निम्न श्रेणी के वादों को छोड़कर स्वतः करनिर्धारण योजना लाये जाने का निर्णय लिया गया है–

(क)– ऐसे मामले, जिनमें कर निर्धारण वर्ष में सकल आवर्त रू0 5 करोड़ से अधिक है।

(ख)– ऐसे मामले, जिनमें कर निर्धारण वर्ष में input tax के लाभ का दावा रू0 5 लाख से अधिक का है।

(ग)– ऐसे मामले, जिनमें कर निर्धारण वर्ष में वापसी का दावा रू0 1 लाख से अधिक है।

(घ)–ऐसे मामले, जिनमें करापवंचन का स्पष्ट प्रमाण उपलब्ध है।

(ङ)– उक्त के अतिरिक्त शेष मामलों में से रैण्डम तरीके से छांटे गये 10 प्रतिशत तक के मामले।

पूर्व में मूल्य वर्धित कर अधिनियम एवं नियम में निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप करदाताओं द्वारा अपने रूप पत्र सम्बन्धी पूरी सूचनाएं उपलब्ध नहीं करायी गयी हैं, अतः

Arvind Patra Commissioner Ex Presst D.J.

योजना का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाये। 19.7.11

उन्हें एक अवसर देने के उद्देश्य से यह प्रस्तावित किया जा रहा है कि वर्ष 2008–09 के सम्बन्ध में यदि करदाता स्वतः कर निर्धारण योजना का लाभ उठाना चाहता है तो वह अपने रूप–पत्र व सम्बन्धित कन्सौलिडेटेड रूप–पत्र आवश्यक दस्तावेज सहित दिनांक 31–08–2011 तक एवं वर्ष 2009–10 के सम्बन्ध में दिनांक 31–10–2011 तक अपने कर निर्धारण अधिकारी को उपलब्ध करा दें। इस समय सीमा को विशेष परिस्थितियों में बढ़ाने का आयुक्त कर को अधिकार होगा। ऐसे करदाता जो उक्त निर्धारित समय सीमा के अन्दर उक्त वर्षो के सम्बन्ध में अपने मासिक, त्रैमासिक व कन्सोलिडेटेड रूप पत्र व सम्बन्धित कागजात कर निर्धारण अधिकारी को उपलब्ध करा देंगे उन्हें स्वतः कर निर्धारण योजना का लाभ प्राप्त होगा और केवल 50 लाख रूपये से अधिक वार्षिक विक्रय धन वाले करदाताओं में से आयुक्त कर रैन्डम चेकिंग आधार पर स्क्रूटनी के लिये कुछ करदाताओं (10 प्रतिशत सीमा के अन्तर्गत) का चयन करेंगे जिनके सम्बन्ध में नियमित कर निर्धारण की प्रक्रिया अपनायी जायेगी। इसी प्रकार आयुक्त कर द्वारा स्वतः कर निर्धारण योजना में आने वाले कुल वादों में से 1 प्रतिशत वादों का चयन करते हुए खरीद सम्बन्धी सूचना सत्यापन हेतु भेजी जायेगी। सत्यापन पर प्रतिकूल सूचना प्राप्त होने पर मूल्य वर्धित कर अधिनियम,2005 की धारा 29 में नियमानुसार कर निर्धारण की कार्यवाही सम्पादित की जायेगी। शेष करदाताओं को स्वतः कर निर्धारण का लाभ अनुमन्य कराया जायेगा। स्वतः कर निर्धारण योजना में कर निर्धारण अधिकारी के स्तर से वाद के निस्तारण के उपरान्त इस आशय की सूचना सम्बन्धित करदाता को प्राथमिकता से उपलब्ध कराई जायेगी तथा सूचना में अन्तिम रहतिया शेष बचे फार्म व ITC carry forward की सूचना निहित होगी।

उक्त योजना के अन्तर्गत निस्तारित वादों का महालेखाकार के द्वारा सम्परीक्षा सम्पादित की जायेगी और सम्परीक्षा के दौरान पायी गयी त्रुटियों के सम्बन्ध में यदि सम्बन्धित अधिकारी की कदाशयता प्रमाणित नहीं होती है तो उसके विरूद्ध प्रतिकूल दृष्टिकोण नहीं अपनाया जायेगा।

कृपया उक्त निर्देशों के क्रम में अपने स्तर से कर निर्धारण अधिकारियों/करदाताओं को अवगत कराते हुए आवश्यक कार्यवाही हेतु दिशा–निर्देश निर्गत करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(आलोक कुमार जैन)
प्रमुख सचिव, वित्त।

पृ0प0सं0 /2011/100(120)/XXVII(8)/04 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि– महालेखाकार, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(आलोक कुमार जैन)
प्रमुख सचिव, वित्त।